फर्द अहकाम

सुंदर देवी बनाम रामेश्वर उर्फ रामू वगै0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)
प्रकरण संख्या .....79...../2022 दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	21/9/22	वादी की ओर से वाद पत्र जरिये अभिभाषक श्री रणवीर कपूरिया द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 21/9/22 को पेश हों। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	
	21/9/22	पत्रावली पेश हुई वादी व उनके अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं है। बार बार आवाज लगाने पर भी प्रत्यार्थी व उनके अधिवक्ता न्यायालय समक्ष उपस्थित नहीं होने से प्रत्यार्थी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही में जारी किया जाता है। पत्रावली पेश हुआ पेश प्रस्तुत रहे। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	